अध्याय 10
निष्कर्ष एवं सिफारिशें

10.1 निष्कर्ष

नवम्बर 2014 में प्रारंभ, पहल (डीबीटीएल) योजना, और जनवरी 2015 में पूरे देश में विस्तारिक की गयी, अप्रोत्साहित अपरोधन, नकली और प्रतिरूप संयोजको को बाहर निकालने, पात्रता की रक्षा, एलपीजी सिलेण्डेरों की उपलब्धता को उत्तम बनाना और घरेलु उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी में आत्म चयन की अनुमति का प्रयोजन रखती है। लेखापरीक्षा, 19.26 करोड़ पंजीकृत घरेलु गैस उपभोक्ताओं को कवर करने वाली (16.17 करोड़ सक्रिय और 3.09 करोड़ सक्रिय उपभोक्ताओं के अलावा) और तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) में 16,781 वितरकों जैसे-इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की योजना के क्रियान्वयन की सराहना करता है। योजना के क्रियान्वयन के साथ लेखापरीक्षा निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट करता है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त व्यवसायिक उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडरों की बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को उठाने में वृद्धि, सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार नहीं है। जो अपरोधन के खतरे को बढ़ाता है, विशेष रूप से घरेलू एलपीजी के मध्य महत्वपूर्ण कीमतों में अंतर पर विचार किया गया सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार नहीं है और व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर विभिन्न करो और शुल्को को उपभोक्ताओं दो श्रेणियों पर लगाया गया।
- यद्यपि नेशनल इनफॉरमेटीक्स सेंटर और ओएमसीज ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डेटाबेस पर अ-प्रतिरूप जाँच की थी, लेखापरीक्षा में ओएमसी के बीच और भीतर मौजूदा बहु कनेक्शनों के उदाहरण देखे। इसके अतिरिक्त, बहु कनेक्शन होने के संदेह पर अवरूद्ध किये गये कनेक्शन अनवरूद्ध करने के लिए औचित्य के पर्याप्त प्रलेखन

बनाए बिना अनवरूद्ध किये गये। चयन किए गए नमूने की जाँच से संकेत मिलता है कि घरेलु रसोई गैस उपभोक्ता डेटाबेस के लिए अपर्याप्त इनपुट की जाँच की गयी, जो प्रतिकूल रूप से इसकी सटीकता और प्रामणिकता को प्रभावित करता है।

- ओएमसीज पहल (डीबीटीएल) योजना से संबंधित शिकायतों को बड़े परिणाम में निवेदित करता है यद्यपि निपटारण के लिये सात दिनों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- असफल लेन-देन का एक महत्वपूर्ण परिणाम देखा गया था जोकि एक चिंता का विषय है क्योंकि इससे वैध सब्सिडी प्राप्त करने वाले रसोई गैस उपभोक्ता वंचित रह सकते है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेन-देन के असफल होने का मुख्य कारण वितरकों द्वारा त्रुटिपुर्ण डेटा एन्ट्री करना है।
- 31 दिसम्बर 2015 तक, 1.55 करोड़ गैर-नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ता थे। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि इसमें उन उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी।
- नमूने की संवीक्षा में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि गैर-नकदी हस्तांतरित अनुवर्ति उपभोक्ता स्थायी अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ रखते हैं। इस प्रकार के उपभोक्ता अग्रिम के पात्र नहीं थे, अत: निधियां अवरूद्ध हो गयी। जिसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या की सुरक्षा जमा उन्हे भुगतान की गयी स्थायी अग्रिम की तुलना में बहुत कम थी। कनेक्शन समाप्त की स्थिति में स्थायी अग्रिम को सुरक्षा जमा से वसूल किया जाना है, इस प्रकार के मामलों में इसकी वसूली संदेह पूर्ण है।
- अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान सब्सिडी भार 2014 की तुलनीय अवधि की तुलना में ₹ 23,316.21 करोड़ कम थी। यद्यपि, यह उपभोक्ताओं द्वारा रियायती सिलेंडरों की निकासी में कमी की एक सयुंक्त प्रभाव था (₹ 1,763.93 करोड़) और कम रियायत दरे 2015-16 में कच्चे तेल की कीमतों में (₹ 21,552.28 करोड़) तेज गिरावट से उत्पन्न हुई है। जबकि पहल (डीबीटीएल)

योजना 'गिव इट अप' छोड़ने के अभियान के साथ मिलकर कार्यान्वयन की गयी परिणामस्वरूप सब्सिडी दर पर रसोई गैस सिलेंडरों के उठाने में कमी हुई, जिसके परिणामस्वरुप सब्सिडी बचत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी की सब्सिडी मूल्यों में गिरावट हुई।

10.2 सिफारिशें

लेखापरीक्षा ने इस प्रतिवेदन में दर्शित तथ्यों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया है।

(i) वाणिज्यिक वर्ग को गैर-सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरो के विपथन को निरूत्साहित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएं।

(ii) चयनित नमूने की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने विविध कनेक्शनों की मौजूदगी दर्शायी, इसे ध्यान में रखते हुए ओएमसीज द्वारा सम्पूर्ण डाटाबेस की संवीक्षा की जाने की आवश्यकता है तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। डाटाबेस की समेकितता को अनुरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि, ओएमसीज ने उपभोक्ता डाटाबेस में नई वृद्धि के लिए उचित जांच का आश्वासन दिया है तथापि मौजूदा डाटाबेस की यथार्थता तथा समेकितता सुनिश्चित करने की अधिक आवश्यकता है। संदेहास्पद विविध कनेक्शनों के अवरोधन तथा गैर अवरोधन के उपयुक्त तथा पारदर्शी प्रलेखन को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) वितरक इंटरफेस में उपयुक्त इनपुट नियंत्रण, डाटा वैधीकरण तथा कठोर निगरानी अनिवार्य है जो केवल उपभोक्ता डाटाबेस की समेकितता ही नहीं सुधारेगा अपितु गलत सूचना से उत्पन्न विफल संव्यवहारो को भी हटाएगा।

(iv) लेखापरीक्षा ने गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ता की संख्या में कमी का उल्लेख किया है। तथापि, अधिक ध्यान केन्द्रित सामाजिक आउटरीच प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का ज्ञान और प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टता न होने की वजह से पात्र उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित न रह जाए।

(v) गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ताओं के पास स्थाई अग्रिम अवरूद्ध करने और इसकी तुलना में कम सुरक्षा जमा राशि वाले उपभोक्ताओं से स्थाई अग्रिम की वसूली के मामलों के समाधान के लिए उचित नीति निर्णय की आवश्यकता है।

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई 2016